रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248955
CG-DL-E-23092023-248955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

Indiacode

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 37 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"37. शास्ति.- (1) जो कोई नियम 4 के उप-नियम (4) और (6), नियम 5 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक या उप-नियम (2) के परंतुक या नियम 7 या नियम 8 या नियम 9 या नियम 10 या नियम 13 के उप-नियम (11) या नियम 14 के उप-नियम (6) या नियम 15 के उप-नियम (2) या नियम 16 या नियम 20 या नियम 21 या नियम 28 या नियम 31 के उपबंधों का कोई उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक

की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से और लगातार उल्लंघन किए जाने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए सिध्ददोष ठहराए जाने के पश्चात् जारी रहता है, पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

3. उक्त नियमों की, अनुसूची ख के भाग III की, तालिका में, क्रम संख्या III और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

निक्षेप के प्रकार और प्रमुख खनिज	जी4 प्रक्रम	जी3 प्रक्रम	जी2 प्रक्रम	जी1 प्रक्रम	टिप्पणियाँ
"III.पेग्मेटाइट्स, रीफ्स और नसों/पाइपों में होने वाली दुर्लभ धातु और आरईई।	आवश्यकतानुसार स्काउट वेधन/ गड्ढे/खाई खोदना।	प्रति वर्ग किमी 10 से 25 गड्ढे/खाई वेधन की दशा में, बोर छिद्र की दूरी 40 मी x 20 मी या 40 मी x 40 मी हो सकेगी।	अधिमानतः 20 मीटर के अंतराल पर खाई/गड्ढा खोदना। वेधन की दशा में, बोर छिद्र की दूरी 20 मी x 10 मी या 20 मी x 20 मी हो सकेगी।	10 मीटर x 10 मीटर या उससे कम दूरी पर खोजसंबंधी खुले गड्ढे या बोर छिद्र या जहां भी आवश्यक हो, ग्रेडों और वसूली प्रपुंज अवधारण सहित भूमिगत नमूने लेना।	
IIIक. कार्बोनाइट और अन्य क्षार आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाली दुर्लभ धातु और आरईई					
(i) सारणीबद्ध दुर्लभ धातु और आरईई निक्षेप	आवश्यकतानुसार स्काउट वेधन/ गड्ढे/खाई खोदना।	बोर छिद्र ग्रिड/ नमूना अंतर 400 मीटर x 200 मीटर या इसके लगभग हो सकता है।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना अंतर 200 मीटर x 100 मीटर या इसके लगभग हो सकता है।	बोर छिद्र ग्रिड/ नमूना अंतर 100 मीटर x 100 मीटर या इसके लगभग हो सकता है।	
(ii) लेंटिकुलर दुर्लभ धातु और आरईई शिराओं/लेंस के रूप में जमा होता है।	आवश्यकतानुसार स्काउट वेधन/ गड्ढे/खाई खोदना।	बोर छिद्र ग्रिड/ नमूना अंतर 200 मीटर x 200 मीटर या इसके लगभग हो सकता है।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना अंतर 100 मीटर x 100 मीटर या इसके लगभग हो सकता है।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना अंतर 100 मीटर x 50 मीटर या इसके लगभग हो सकता है।"।	

[फा. सं. 16/62/2020-एम.VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 11 जुलाई, 2016 की संख्या सा.का.नि. 677 (अ), द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन तारीख 20 फरवरी, 2019 की संख्या सा.का.नि. 134 (अ) द्वारा किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by section 11B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement:— (1) These rules may be called the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Atomic Minerals Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 37, the following rule shall be substituted, namely:—

"**37. Penalty.—** Whoever contravenes the provisions of sub-rules (4) and (6) of rule 4, second proviso to sub-rule (1) or proviso to sub-rule (2) of rule 5 or rule 7 or rule 8 or rule 9 or rule 10 or sub-rule (11) of rule 13 or sub-rule (6) of rule 14 or sub-rule (2) of rule 15 or rule 16 or rule 20 or rule 21 or rule 28 or rule 31 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five lakhs, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.".

3. In the said rules, in Schedule B, in Part III, in the table, for serial number III and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

Type of deposit and Principal Minerals	G4 stage	G3 stage	G2 stage	G1 stage	Remarks
"III. Rare metal and REE occurring in pegmatites, reefs and veins/ pipes.	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	10 to 25 pits/ trenches per sq.km. In case of drilling, borehole spacing may be 40m x 20m or 40m x 40m.	Pitting/Trenching/ preferably at 20m interval. In case of drilling, borehole spacing may be 20m x 10m or 20m x 20m.	Exploratory open pit or boreholes at 10m x 10m or closer or underground sampling with bulk determination of grades and recovery wherever necessary.	
IIIA. Rare metal and REE occurring in carbonatite and other alkali igneous rocks					
(i) Tabular Rare metal and REE deposits	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	Borehole grid/ sample spacing may be 400m x 200m or closer	Borehole grid/ sample spacing may be 200m x 100m or closer	Borehole grid/ sample spacing may be 100m x 100m or closer	
(ii) Lenticular Rare metal and REE deposits in the form of veins / lenses	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	Borehole grid/ sample spacing may be 200m x 200m or closer	Borehole grid/ sample spacing may be 100m x 100m or closer	Borehole grid/ sample spacing may be 100m x 50m or closer.".	

[F. No. 16/62/2020-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 11th July, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 134(E), dated the 20th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL